

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 012/2019 (GCMS 2019/00126)	दायर दिनांक 08.07.2019	निर्णय दिनांक 17.02.2021
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी**बनाम**

1. राजेश सालवी पुत्र शिवलाल (विक्रेता) मो.नं.- 8094122765 मैसर्स तिरूपति फ़ार्म एण्ड वेफर्स प्लोट नं. 9, सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.), स्थाई निवासी मु0 झालरा, पो0 रघुनाथपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्रीमति शिल्पा नाराणीवाल पत्नि मितेश कुमार (मालिक) मैसर्स तिरूपति फ़ार्म एण्ड वेफर्स, प्लोट नं. 9, सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी - 240/4 पुराने पावर हाउस के पास, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थीगण

-:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::-

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.02.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छाया प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.02.2019 को समय 02.50 पीएम पर मैसर्स तिरूपति



फ़ाईम एण्ड वेफर्स, प्लोट नं. 9, सेमलपुरा चित्तौड़गढ़ (राज.) पर पहुँचें। वहाँ पर राजेश सालवी पुत्र शिवलाल उक्त फर्म में विक्रेता की हैसियत से खाद्य पदार्थ कुरकुरे वेफर्स व अन्य खाद्य सामग्री आम जनता को विक्रय हेतु निर्माण कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर टमाटर मसाला उक्त खाद्य सामग्री के निर्माण हेतु प्रयोग में लिया जा रहा था। विक्रेता राजेश सालवी ने बताया कि उक्त फर्म के मालिक श्रीमति शिल्पा नाराणीवाल हैं जो कि मौके पर मौजूद नहीं थीं। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह व श्यामलाल वैष्णव की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर 5-5 किलोग्राम कुल 21 पॉली पैकिंग में खाद्य सामग्री टमाटर मसाला सील्ड अवस्था में खाद्य सामग्री निर्माण हेतु रखा पाया गया। विक्रेता ने बताया कि सभी पैकिंगों में एक ही तरह का माल है। उक्त सभी 21 पोलिपैक पर खाद्य पदार्थ का विवरण (लोट नम्बर, नेट वेट एमआरपी, डेट ऑफ पेकेजिंग, बेस्ट बिफोर, मेन्युफेक्चरिंग बाय आदि) अंकित नहीं पाया गया। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत जाँच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर V A की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के एक सील्ड पॉली पैक को खुलवाकर 2 किलोग्राम टमाटर मसाला वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रुपये 54/- नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर-बराबर भागों में बाट कर चार प्लास्टिक डिब्बों में अलग-अलग रखकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमूना भागों हेतु 4 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-1015 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाईं और एवं एक बाईं और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार



इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमूने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्सीएटेड लैब में जाँच कराने गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पुर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को की जानकारी मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। नमूना लेने के पश्चात् शेष बची टमाटर मसाला को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार सील सीज कर व्यापारी श्री राजेश सालवी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया जिसके निर्धारित प्रपत्र 2, 3 व 4 (मूल खाद्य नमूना संख्या एएम-1014 के प्रकरण के साथ संलग्न हैं।) की फोटोप्रतियों संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/1316 दिनांक 11.04.2019 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि मिसब्राण्डेड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। यह है कि उक्त फर्मों को प्राप्त जाँच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई, जिसका फोवर्डिंग पत्र की मूल कार्यालय प्रति व मूल पोस्टल रसीदों के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 1316 दिनांक 11.04.2019 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं



स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/2192 दिनांक 27.06.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगणों ने मिसब्राण्डेड टमाटर मसाला का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन श्रीमान को प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही जब्तसुदा उक्त टमाटर मसाला के निस्तारण बाबत भी आदेश प्रदान करावें।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 17.02.2021 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। हमने पत्रावली को बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को टमाटर मसाला लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्टि नमूना खरीद बिल से होती है, उस पर गवाहान की शहादत है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मौका फर्द का अवलोकन किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-1015 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा होने से पत्रावली पर परिवाद का खंडन नहीं है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट LS 71/Act/



2019/84 Dated 06-03-2019 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :-

Report No LS 71/ Act/2019/84

Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Devendra Singh Ranawat, Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Tomato Masala (Loose) bearing code no. and serial no. AM-1015 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh on 14.02.2019 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 62 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum in sealed envelope.

I found the sample to be Fruit & Vegetable Products falling under Regulation No. 2.3.15 (Soup powder) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 19.02.2019 to 06.03.2019 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT-

(i) Sample description:- The sealed sample contained in a pet jar.

(ii) Physical appearance:- Orange powder, no visible insect infestation or mould growth.

(iii) Label :- Loose sample of Tomato Masala. As per form no. VI. The sample is taken from sealed original company poly bag of 5kg. On poly bag Net wt.- Absent, Batch no.- Absent, M.R.P.- Absent, D.O.P.- Absent, Best before- Absent. Contravention to Regulation 2.2.2(6)(i), 2.2.2(8), 2.2.2(9) & 2.2.2(10) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.

Opinion:- The sample of Tomato Masala (Loose) bearing code no. and serial no. AM- 1015 of Designated officer (Food Safety) Curn C.M.&H.O of District Chittorgarh is misbranded food. The sample is misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1015** टमाटर मसाला का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** के तहत मिस ब्राण्ड स्तर का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थों के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। उक्त खाद्य पदार्थ का विपक्षी के पास बिल का नहीं होना जाहिर होता है। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा



26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत अप्रार्थी को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थीगण राजेश सालवी पुत्र शिवलाल (विक्रेता) मो.नं.- 8094122765 मैसर्स तिरुपति फ़ाईम एण्ड वेफ़र्स प्लोट नं. 9, सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.), स्थाई निवासी मु0 झालरा, पो0 रघुनाथपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.) एवं श्रीमति शिल्पा नाराणीवाल पत्नि मितेश कुमार (मालिक) मैसर्स तिरुपति फ़ाईम एण्ड वेफ़र्स, प्लोट नं. 9, सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी - 240/4 पुराने पावर हाउस के पास, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार-

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

- The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
- The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
- The repetitive nature of the contravention,
- Whether the contravention is without his knowledge, and
- Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.

- Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.
- The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 श्री राजेश सालवी पुत्र शिवलाल (विक्रेता) मो.नं.- 8094122765 मैसर्स



तिरुपति फ़ाईम एण्ड वेफर्स प्लोट नं. 9, सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.), स्थाई निवासी मु० झालरा, पो० रघुनाथपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.) एवं अभियुक्त संख्या 2 श्रीमति शिल्पा नाराणीवाल पत्नि मितेश कुमार (मालिक) मैसर्स तिरुपति फ़ाईम एण्ड वेफर्स, प्लोट नं. 9. सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी - 240/4 पुराने पावर हाउस के पास, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन करने से अभियुक्त संख्या 1 श्री राजेश सालवी पुत्र शिवलाल (विक्रेता) मो.नं.- 8094122765 मैसर्स तिरुपति फ़ाईम एण्ड वेफर्स प्लोट नं. 9, सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.), स्थाई निवासी मु० झालरा, पो० रघुनाथपुरा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा (राज.) को 10000/- अक्षरे दस हजार रुपये एवं अभियुक्त संख्या 2 श्रीमति शिल्पा नाराणीवाल पत्नि मितेश कुमार (मालिक) मैसर्स तिरुपति फ़ाईम एण्ड वेफर्स, प्लोट नं. 9. सेमलपुरा, चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी - 240/4 पुराने पावर हाउस के पास, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ (राज.) को 20000/- अक्षरे बीस हजार रुपये के कुल 30000/- रुपये अक्षरे तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के को निर्देशित किया जाता है कि ज्वत्शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 17.02.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

